


17/2020 श्रीमती पतासी देवी आदि - राजेश आदि

दिनांक	आज्ञा पत्र	कोष
20/12/2021	<p>पत्रावली पैग हुई। अधिवक्ता अपीलॉट ने उपस्थित होकर कथन किया कि वे अपील को आगे नहीं चलाना चाहते अतः अपील खारिज फरमावे। स्वाध्य स्वरूप अधिवक्ता अपीलॉट ने आदेशिका पर हस्ताक्षर किए। अतः अपील अपीलॉट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।</p> <p>पत्रावली फैसला शुमार लेकर नंबर से कम हो तथा बाद तक सील दाखिल हफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">ब०८</p> <p style="text-align: center;">सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर</p>	 <p style="text-align: right;">N. S. Singh डेप्युटी 20/12/21</p>